



केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

प्रलिस के लयि:

दलिली वशिश पुलसि प्रतषिठान (DSPE) अधनियिम, भ्रषुटाचार नविरण अधनियिम, भ्रषुटाचार नविरण पर संथानम समति

मेनुस के लयि:

CBI और सफिरशियों से संबधति मुददे

चरुा में कुर्यों?

[कारुकि, लोक शकियत, कानून और नुयाय संबधी संसदीय समति](#) ने कई राजुयों दवारा CBI जाँच हेतु सामानुय सहमतविरास लयि जाने के मददेनजर कहा है क CBI को नरियंतरति करने वाले मौजूदा कानून की 'कई सीमारें' हैं और इसकी सुथति, कारुयों एवं शकतियों को परभिरषति करने के लयि इसे एक नए कानून के साथ बदलने की आवशुकता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI):

परुचिय:

- CBI की सुथापना वरुष 1963 में हुई थी और [यह दलिली वशिश पुलसि प्रतषिठान \(Delhi Special Police Establishment- DSPE\)](#) अधनियिम दवारा शासति है।
 - इसकी सुथापना [भ्रषुटाचार नविरण पर संथानम समति \(1962-1964\)](#) के सुझावों पर की गई थी।
- वर्तमान में CBI भारत सरकार के कारुकि वभिराग, कारुकि, पेंशन और लोक शकियत मंत्रालय के अधीन कारुय करती है।

कारुय:

- भारतीय अधकिरारियों, सारुवजनकि कषेतर के उपकरुमों, नगिमें और भारत सरकार के सुवामतितुव या नरियंतरण वाले नकियारों के खलिराफ [भ्रषुटाचार नविरण अधनियिम](#) के तहत केंद्र सरकार के करुमचारियों के भ्रषुटाचार, रशिवतखोरी तथा दुरुवुयवहार के मामलों की जाँच करना।
- राजकुषीय और आरुथकि कानूनों के उल्लंघन से संबधति मामलों की जाँच करना, अरुथात् नरियत एवं आयात नरियंतरण, सीमा शुलुक तथा केंद्रीय उत्पाद शुलुक, आयकर वदरशी मुदरा नयिमें से संबधति कानूनों का उल्लंघन।

- उदाहरण: [नकली भारतीय करुंसी नोट](#), बैंक धुखाधुडी, [आयात-नरियत और वदरशी मुदरा](#) उल्लंघन आदी

मुददे:

○ CBI बनाम राज्य पुलसि:

- कसी वशिश राज्य में CBI जाँच राज्य सरकार दवारा अनुमोदन के अधीन है।
- एक राज्य में सतुतारूढ दल कभी-कभी वासुतवकि रूुप से और कई बार कमजोर आधार पर CBI को मामलों की जाँच करने की अनुमतदिये से इनकार कर देता है, जससे जाँच की सीमा सीमति हो जाती है।

○ ओवरलैपगि/दुहराव:

- राज्य पुलसि बलों के साथ वशिश पुलसि प्रतषिठान (CBI का एक प्रभिराग) को उन अपराधों के लयि जाँच और अभयिोजन की समवरुती शकतियें प्रापुत हैं जो कभी-कभी मामलों के दुहराव एवं ओवरलैपगि का कारण बनते हैं।

राजनीतकि हसुतकषेप:

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने CBI के कामकाज में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की है तथा इसे "अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पजिरे में बंद तोता" कहा है।

संसदीय समिति के नषिकर्ष और सफ़ारशें:

■ नषिकर्ष:

◦ सामान्य सहमति की वापसी:

- 9 राज्यों ने CBI द्वारा किसी भी जाँच के लिये आवश्यक **सामान्य सहमति को वापस** ले लिया है, जिससे CBI को नयितरति करने वाला मौजूदा कानून अप्रभावी हो गया है।

◦ रकित पद:

- **CBI में रकितियों को आवश्यक गति से नहीं भरा जा रहा है**, जिससे जाँच की गुणवत्ता में बाधा आ रही है जिससे अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता प्रभावित हो रही है।
- CBI में स्वीकृत 7,295 पदों के मुकाबले कुल 1,709 पद खाली हैं।

- उच्च पदों, कानूनी अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के संवर्गों में **ये रकितियाँ नरिविवाद रूप से मामलों की लंबितता को बढ़ाएगी, जाँच की गुणवत्ता को बाधित करेगी** जो अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता को प्रभावित करेगी।

■ अनुशंसा:

◦ CBI की स्थिति को पुनः परभाषित करना:

- समिति **CBI की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परभाषित करने** तथा इसके कामकाज में नषिकर्षता सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपाय नरिधारित करने हेतु एक नया कानून बनाने की सफ़ारश करती है।

◦ रकितियों को तमिही आधार पर भरना:

- समिति **CBI नदिशक से सफ़ारश करती है कि वह तमिही आधार पर रकितियों को भरने में हुई प्रगत की समीक्षा करें** और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय करें कि संगठन में पर्याप्त स्टाफ है।

◦ प्रतनियुक्ति पर नरिभरता को कम करना:

- CBI को **प्रतनियुक्ति पर अपनी नरिभरता को कम करना चाहिये** एवं पुलिस नरिरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर स्थायी कर्मचारियों की भरती करने का प्रयास करना चाहिये।

◦ वाद प्रबंधन प्रणाली: CBI को एक वाद प्रबंधन प्रणाली (Case Management System) नरिमित करनी चाहिये जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिसमें इसके पास दर्ज शिकायतों एवं उनके नपिटारे में हुई प्रगत का वविरण होगा।

- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये **मामलों के आँकड़े तथा वार्षिक रिपोर्ट** भी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिये।
- CBI के पास दर्ज मामलों का वविरण, उनकी जाँच में हुई प्रगत और अंतमि परणाम **सार्वजनिक डोमेन** में उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. एक राज्य-वशिष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने और जाँच करने के केंद्रीय अनूवेषण ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र पर कई राज्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि सी.बी.आई. जाँच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमति रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के वशिष संदर्भ में वयाख्या कीजिये। (2021)

स्रोत: द हद्रि

